GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय (RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. E(W) 2010/FU-1/4

New Delhi, dated 23 .05.2011

The General Managers, All Zonal Railways and Production Units etc.

Sub: Amendment of provisions relating to Railway Staff Benefit Fund – Chapter 8 of the Indian Railway Establishment Code Volume I, 1985 Edition (Second Reprint Edition – 2003).

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rules 805 (1) and 805 (2) of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I 1985 Edition be amended as per enclosed Advance Correction Slip No. 117.

- 2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
- 3. Hindi version is enclosed.
- 4. Please acknowledge receipt.

Encl: Advance Correction Slip.

(Debasis Mazumdar) Joint Director Establishment (Welfare) Railway Board.

No. E(W) 2010/FU-1/4

New Delhi, dated 23 .05.2011

FA & CAOs, All Zonal Railways & Production Units etc.

(Debasis Mazumdar) Joint Director Establishment (Welfare) Railway Board.

Contd..2/-

No. E(W)2010/FU-1/4

New Delhi, dated 23 .05.2011

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Rallways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhl (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

No. E(W)2010/FU-1/4

New Delhi, dated 23 .05.2011

Copy forwarded to :-

- 1. The General Secretary, AIRF, Room No.256-E, Rail Bhavan, N.Delhi (with 35 spares)
- 2. The General Secretary, NFIR, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi. (with 35 spares)
- 3. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
- 4. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association (with 5 spares)
- 5. The President, Railway Board Class II Officers' Association (with 5 spares)
- 6. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
- 7. The President, Indian Railway Class II Officers Association, Rail Nilayam, Secunderabad (with 5 spares)
- 8. The President, All India SC/ST Railway Employees Association, 7-GF, Rail Bhawan, New Delhi.
- 9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association (with 5 spares)
- 10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association (with 5 spares)
- 11. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi.

for Secretary/Railway Board

·4. 发现在1000年100日

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE VOLUME-I, 1985 EDITION (Second Reprint Edition-2003) CHAPTER-8

Railway Staff Benefit Fund

Advance Correction Slip No. 117

(1) Clause (1) of Rule 805 may be substituted by the following:

In addition to the credits to the Fund detailed in Rule 804, there shall be credited to the fund on the 1st April of each financial year an annual grant from the revenues of the Railway at a per capita rate of ₹ 500/- based on the sanctioned strength of non-gazetted Railway employees, permanent and temporary, as on the 31st March, posts charged to capital being excluded. The Fund shall be credited provisionally on the 1st April each year with an amount equal to the contribution for the previous year, the necessary adjustment being made as soon as the correct amount of the contribution has been determined. The distribution of ₹ 500/- among different activities will be as under:

(i)	Genera		
	(a)(1)	Education	₹72.75
	(a)(2)	Scholarship for higher education of Girl children of staff in grade pay ₹ 1,800/- and below (@ ₹1,200/- p.m)	₹100.00
	(a)(3)	Scholarship for higher education of Male children of staff in grade pay ₹1,800/- and below (@ ₹1,000/- pm)	₹60.00
	(b)	Recreation other than sports	₹22.25
	(c)	Promotion of Cultural Activities.	₹10.50
	(d)(1)	Relief of distress, sickness, etc.	₹50.00
	(d)(2)	Relief of distress, sickness, etc. for staff in grade pay ₹1,800/- and below.	₹50.00
	(e)	Women empowerment activities including higher education for girls.	₹23.00
	(f)	Miscellaneous	₹10.50
(ii)	(-)	Sports activities	₹20.00
(iii)		Scouts activities	₹13.50
(iv)		Indigenous system of medicine including Homeopathy	₹22.50
(v)		Immediate relief in times of crisis arising out of natural calamities.	₹18.00
(vi)		Training for developing occupational skills of physically/mentally challenged wards especially girls of railway employees.	₹27.00
		Total:	₹ 500.00

(Authority : Board's letters No. E(W)2009/FU-1/4 dated 17-08-2009 and E(W)2010/FU-1/4 dated 26-04-2010 and 15-02-2011.)

(2) Note 3 below Clause (2) of Rule 805 may be substituted by the following:

Based on the overall per capita contribution of ₹20.00 for sports activities, sports allotments shall continue to be made by the Ministry of Railways in consultation with the Railway Sports Promotion Board, to the Zonal Railways/Production Units.

Allotment of ₹ 13.50 for scouting activities will also be made by the Ministry of Railways. ₹ 18/- per capita allotted for "Immediate relief in times of crisis arising out of natural calamities" will be made from the "SBF Calamity Relief Fund" at the level of the Ministry of Railways. Therefore, allotment for ₹ 51.50 will be authorised centrally by Ministry of Railways (Railway Board) from sanctioned Budget allotments.

(Authority: Board's letter no. E(W)2010/FU-1/4 dated 26.04.2010)

आर बी ई सं. 73 /2011

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड

सं. ई (डब्ल्यू) 2010/एफ यू-1/4

नई दिल्ली, दिनांक 23.5.11

महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि.

> विषयः भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I 1985 संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण-2003) के अध्याय 8- रेल कर्मचारिवृन्द प्रसुविधा निधि से संबंधित उपबंधों में संशोधन.

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I 1985 के नियम 805 (1) और 805 (2) को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 117 के अनुसार संशोधित किया जाए.

- 2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.
- 3. कृपया पावती दें.

(देबाशीष मजूमदार)

संलग्नः अग्रिम शुद्धि पर्ची

(दबाशाय मणूमदार) संयुक्त निदेशक, स्थापना (कल्याण) रेलवे बोर्ड

सं. ई (डब्ल्य) 2010/एफ यू-1/4

नई दिल्ली, दिनांक 23.5.11

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी एवं उत्पादन इकाइयां आदि.

(देबाशीष मजूमदार)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (कल्याण)

रेलवे बोर्ड

सं. ई (डब्ल्य) 2010/एफ यू-1/4

नई दिल्ली, दिनांक 23.5.11

प्रतिलिपि:-

भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

कृते वित्तायुक्त/ रेलें

सं. ई (डब्ल्यू) 2010/एफ यू-1/4

नई दिल्ली, दिनांक 23.5.11

प्रतिलिपि अग्रेषितः

- 1. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फैडरेशन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
- 2. महासचिव, नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
- 3. महासचिव, फैडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
- 4. सिचव, रेलवे बोर्ड सिचवालय सेवा ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
- 5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
- 6. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
- 7. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलायम, सिकंदराबाद (5 अतिरिक्त प्रतियां)
- 8. अध्यक्ष, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, 7-भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 9. सिचव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
- 10. सिचव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
- 11. महासचिव, ऑल इंडिया आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, 1985 संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण-2003) अध्याय-8

रेल कर्मचारिवृन्द प्रसुविधा निधि

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 117

(1) नियम 805 के खंड (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएः

नियम 804 में बताई गई रकमों के अतिरिक्त, निधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को, रेल के राजस्व से प्राप्त वार्षिक अनुदान प्रित व्यक्ति 500/- रुपए की दर से जमा किया जाएगा, यह जमा समूह ग और समूह घ रेल कर्मचारियों की, 31 मार्च को यथाविद्यमान स्थायी और अस्थायी सदस्य- संख्या पर आधारित होगी। इसमें से पूंजी पर धारित पद अवर्जित कर दिए जाएंगे. निधि में पूर्व वर्ष के लिए अभिदान की रकम के बराबर रकम प्रित वर्ष 1 अप्रैल को अनन्तिम रूप से जमा की जाएगी और अभिदान की ठीक रकम का अवधारण होते ही, आवश्यक समायोजन कर दिया जाएगा. विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए 500/-रुपए का वितरण निम्नानुसार होगा:-

(i)	सामान्य क्रियाकलाप					
	(क)	(1)	शिक्षा	72.75 रू.		
	(ক)	(2)	1800/-रुपए और उससे नीचे (1,000/-रुपए प्रतिमाह की दर पर) के ग्रेड वेतन में कर्मचारिवृन्द की पुत्रियों की उच्चतर शिक्षा हेतु वजीफ़ा	100.00 रु.		
	(ক)	(3)	1800/-रुपए और उससे नीचे (1,000/-रुपए प्रतिमाह की दर पर) के ग्रेड वेतन में कर्मचारिवृन्द की पुत्रों की उच्चतर शिक्षा हेतु वजीफ़ा	60.00 रु.		
	(ख)		क्रीडा से भिन्न आमोद-प्रमोद	22.25 रु .		
	(ग)		सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना	10.50 ক্		
	(ঘ)	(1)	तनाव, रूग्ण्ता आदि से मुक्ति	50.00 रु.		
	(ঘ)	(2)	1800/-रुपए और उससे नीचे के ग्रेड वेतन में कर्मचरिवृन्द के लिए	50. 00 रु.		
			तनाव, रुग्पता आदि से मुक्ति			
	(इ.)		लड़िकयों की उच्चतर शिक्षा सहित महिला सशक्तीकरण क्रिया-कलाप	23.00 रु.		
	(च)		विविध	10.50 ₹.		
(ii)			क्रीडा क्रिया-कलाप	20.00 रु.		
(iii)			स्काउट क्रिया-कलाप	13.50 रु.		
(iv)			होम्योपैथी सहित दवाई की स्वदेशी प्रणाली	22.50 रु .		
(v)			प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न संकट के समय तुरंत राहत	18.00 रू.		
(vi)			रेल कर्मचारियों के शारीरिक/मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों विशेषतः	27. 00 रु.		
			लड़िकयों के व्यावसायिक कौशल को विकसित करने के लिए			
			प्रशिक्षण.	500 00 		
			जोड़:	500.00रु.		

प्राधिकार : बोर्ड का दिनांक 17.8.2009 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2009/एफ यू-1/4 और दिनांक 26.4.2010 एवं 15.2.2011 के पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2010/एफ यू-1/4).

(2) नियम 805 के खंड (2) के नीचे टिप्पण 3 को निम्नानुसार से प्रतिस्थापित किया जाए.

क्रीडा-क्रियाकलापों के लिए कुल 20.00 रुपए प्रति व्यक्ति अभिदान के आधार पर रेल मंत्रालय, रेल क्रीडा प्रोन्नित बोर्ड के परामर्श से क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को क्रीडा आबंटन करता रहेगा.

स्काउटिंग क्रिया-कलापों के लिए 13.50/-रुपए का आबंटन भी रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा. "प्राकृतिक आपदाओं से आए संकट के समय तुरंत राहत" के लिए 18/-रुपए प्रति व्यक्ति आबंटन रेल मंत्रालय के स्तर पर "कर्मचारिवृन्द प्रसुविधा निधि" से किया जाएगा. अत:, 51.50/-रुपए के लिए आबंटन स्वीकृत बजट आंबटन से रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा केंद्रीकृत रूप से प्राधिकृत किया जाएगा.

(प्राधिकारः बोर्ड का दिनांक 26.4.2010 का पत्र सं. ξ (डब्ल्यू) 2010/एफ यू-1/4).